न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
नवाराम पुत्र गीगारामजी जाति चौधरी (कलबी) निवासी देवदा का गोलीया तहसील बागोडा जिला जालोर		जिला रसद अधिकारी जालोर

प्रकरण अपील संख्या 21/2017

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

.....

पक्षकारान :-

1-श्री सुरेन्द्र दवे अभिभाषक अपीलान्ट।

2-प्रर्वतन निरीक्षक

निर्णय

दिनांक:- 11.01.2018

1. अपीलान्ट के वकील द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रकरण संख्या 31/2017 अनवान सरकार बनाम नवाराम पुत्र गीगाराम एफ.पी.एस. देवदा का गोलीया में दिनांक 08.09.2017 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2. अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को Subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधित पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट के अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी अवश्य किया था परंतु प्रस्तुत दस्तावेजो का सही आंकलन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया तथा न ही अपीलांट को पूर्ण रूप से सुना गया है। अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने के बाद सम्पूर्ण मासिक मानचित्र, वितरण व स्टॉक सहित अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये थे। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर नहीं लिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर स्टॉक रजिस्टर नहीं होने का आरोप लगाकर निर्णय किया है जो गैर कानूनी है। क्योकि पोश मशीने आ जाने के बाद स्टॉक रजिस्टर मेन्टेन नहीं होता है। स्टॉक वितरण का सारा हवाला पोश मशीनो में उपलब्ध रहता है। आधार कार्ड के नंबर या राशन कार्ड के नंबर बताने पर पोश मशीन के सेन्सर पर अगुंठा लगाकर वितरण करने के आदेश थे। उसी माफिक अपीलांट द्वारा वितरण किया गया है। जिससे वितरण में कोई अनियमितता नही हुई

वितरक इधर उधर होने से बोर्ड की चोरी हो जाने के डर से अपीलांट द्वारा बोर्ड अन्दर की तरफ रखा हुआ था। अपीलांट के विरूद्ध शिकायत करने वाले थानाराम पुत्र मांगाराम कलबी, नानजीराम पुत्र मांगाराम कलबी,लाखसिंह पुत्र उकसिंहजी राजपूत,मसराराम पुत्र अम्बाराम देवासी, केवदाराम पुत्र जगताराम मेघवाल,गेमाराम पुत्र पनाराम कलबी एवं पारूदेवी पत्नी कोलाजी कलबी है। इन तमाम व्यक्तियो का खाद्यान सूची वर्ष 2013 में चयनित

Sd/-

सूची में नाम नहीं है। परन्तु कम्प्युटर की गलती से इनका नाम एन.एफ.एस.ए. में आ गया,परन्तु पंचायत की सिफारिश पर पंचायत समिति से इनके नाम हटाये जा चुके है फिर भी यह व्यक्ति ऑनलाईन से सामान लेकर गये है। इन व्यक्तियो के नाम चयनित सूची से हट जाने के कारण नाराज होकर गलत शिकायत उपरोक्त व्यक्तियो द्वारा की गई है। जिसमें से 3 व्यक्तियो नानजीराम, मंसराम के पिता आम्बाराम देवासी व लाखसिंह ने शिकायत वापस लेने का प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी जालोर को दिया जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट पर यह भी आरोप लगाया था कि एन.एफ.एस.ए सूचिया चस्पा की हुई नहीं थी जबकि अपीलांट के दुकान के अन्दर एन.एफ.एस.ए. के सूचिया चस्पा की हुई थी। जो अन्दर लगे बोर्ड पर चस्पा थी। ई.ओ एवं ई. आई. द्वारा दिनांक 25.04.2017 को मौका फर्द तैयार की उसके पेज संख्या 2 पर यह अंकित है कि मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ से वितरण व्यवस्था बाबत पूछने पर सभी ने एक स्वर में नियमानुसार सही राशन प्राप्त होना बताया।

अपीलांट के पास देवदा का गोलिया, राउता व मोरसीम की दुकानो की वितरण व्यवस्था थी जिसमें केरोसीन शक्कर गेहूं का वितरण था। देवदा का गोलिया प्रोपर एवं खारवा गांव थे। खारवा में कैम्प हर महिने का राशन वितरण किया जाता था। इसी प्रकार राउता में राउता प्रोपर व नवापुरा ध्वेचा व वाटेरा गांव में वितरण किया जाता था। मात्र शिकायतकर्ताओ के नाम कट जाने से अपीलांट के विरूद्ध शिकायत की है जांच में किसी प्रकार स्टॉक का गबन नही पाया गया है।

अपीलांट द्वारा सभी जगह राउता, देवदा का गोलिया,मोरसीम का स्टांक चैक कर नक्शे सितम्बर 2016 से अप्रेल 2017 तक का स्टॉक सही होना पाया गया। रिकार्ड पोश मशीनो में उपलब्ध था जो जांच अधिकारी को बता दिया गया था व पोश मशीने उपलब्ध करवा दी गई थी, गेहूं आवक का चालान सभी जगह का मार्केटिंग सोसायटी भीनमाल द्वारा भेजा जाता है। चालान तमाम बिल जांच अधिकारी को उपलब्ध करवा दिये गये थे। नक्शे जिला रसद अधिकारी को पेश किये तब उक्त पर्ची व ऑनलाईन सूची से भी मिलान किया था जिसमें भी सही स्थति पाई गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की सूचना अपीलांट को दिनांक 30.10.2017 को जिला रसद अधिकारी का पत्र मिलने पर हुई। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 04.10.2017 को नकले मांगी जो उसे दिनांक 06.10.2017 को मिली एवं 07.10.2017 व 08.10.2017 को राजकीय अवकाश होने से अपीलांट दिनांक 09.10.2017 को एक दिन देरी से अपील प्रस्तुत की है अत: अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. प्रर्वतन निरीक्षक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट डीलर द्वारा पोस मशीन से 8 उपभोक्ताओ के आन लाईन फर्जी ट्रान्जेक्शन कर कुल 4. 90 क्विटंल गेहूं एवं 16 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग करने एवं सम्पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने, उपभोक्ताओ को समय पर राशन सामग्री वितरण नहीं करने एवं भाव सूची बोर्ड पर सूचनाओ का प्रर्दशन नहीं करने के कारण दिनांक 23.05.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिस पर डीलर को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधीवत होने से अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

Sd/-

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील न्याय हित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण डीलर द्वारा अनियमितता बरतने पर दर्ज कर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 06.06.2017 को जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पोस मशीन से आन लाईन ट्राजेंक्शन कर फर्जी राशन सामग्री का इन्द्राज करना, 4.90 क्विंटल गेहूं व 16 लीटर केरासीन का दुरूपयोग करने, स्टॉक रजिस्टर वक्त निरीक्षण पेश नहीं करना, दुकान के बाहर सूचना पट्ट, भाव सूची बोर्ड का प्रर्दशन नहीं करने तथा उपभोक्ताओ को समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं करने संबधी गंभीर अनियमितता बरतने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ(वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानो के तहत जारी डीलर का प्राधिकार पत्र व प्रति भूति राशि जप्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधीवत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई अनियमितता होना नहीं पाए जाने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अत: उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी अस्वीकार की जाती हैं तथा जिला रसद अधिकारी जालोर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

(**बी.एल.कोठारी**)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 11.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**बी.एल.कोठारी**)
जिला कलेक्टर,
जालोर